न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्री भँवर लाल मेहरा, आई.ए.एस.

अपील संख्या : 11/2019 शस्त्र अधिनियम्

अनवानी :— रामकरण पुत्र श्री मूंगाराम जाति बावरी निवासी दुधवाखारा तहसील व जिला चूरू।

——— अपीलान्ट

— बनाम —

राजस्थान राज्य।

——— रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :— श्री बुद्धसिंह राठौड़ अभिभाषक अपीलांट

श्री गजेन्द्रसिंह सहायक लोक अभियोजक, राज्य पक्ष की ओर से।

निर्णय

दिनांक : 11.08.2021

1. यह अपील शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 18 के अन्तर्गत उप खण्ड मजिस्ट्रेट, चूरू के आदेश दिनांक 18.03.2019, जिसमें अपीलांट का शस्त्र अनुज्ञा पत्र सं. 295/2005 निरस्त किया गया, के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।
2. अपील में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट ने अपने नाम से एक शस्त्र अनुज्ञा पत्र सं. 295/2005 बना हुआ है, जो दिनांक 31.12.2018 तक नवीनीकृत था। उक्त लाईसेंस को आगामी अवधि के लिये नवीनीकरण करने हेतु अपीलांट ने उप खण्ड मजिस्ट्रेट, चूरू के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर पुलिस थाना दुधवाखारा से रिपोर्ट ली गई। पुलिस थाना की रिपोर्ट दिनांक 31.12.2018 के अनुसार अपीलांट के विरूद्ध मु.नं. 68/13 अन्तर्गत धारा 16/54 आर.ई.एक्स. एक्ट में दर्ज हुआ, जिसका निर्णय दिनांक 28.9.16 को न्यायालय जे.एम. चूरू द्वारा सजा का आदेश हुआ तथा मु.नं. 40/16 अन्तर्गत धारा 3/25 आर्म्स एक्ट में दर्ज हुआ, जिसमें दिनांक 28.9.16 को न्यायालय में चालान पेश हुआ है और विचाराधीन है। शस्त्र अनुज्ञा पत्र को नवीनीकरण नहीं करने की अनुशंषा की गई है। अतः उक्त पुलिस रिपोर्ट के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय उप खण्ड मजिस्ट्रेट, चूरू ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.03.2019 द्वारा अपीलांट का शस्त्र अनुज्ञा पत्र सं. 295/2005 निरस्त कर दिया, जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

3. प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब कर प्राप्त किया गया तथा वहरा उभय पक्ष सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट कुलदीप सिंह ने बहस करते हुए कथन किया कि पुलिस थाना दुधवाखारा द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर दी गई रिपोर्ट के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश निरस्त योग्य है। अपीलांट सजायाफ्ता व्यक्ति नहीं है। अपीलांट को किसी भी न्यायालय द्वारा आज तक कोई सजा नहीं सुनाई गई है। न्यायिक मजिस्ट्रेट, चूरू में आर्म्स एक्ट में चालान किया गया है जो विचाराधीन है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलांट का नवीनीकरण हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र को बिना किसी कारण निरस्त किया है। अपीलांट एक गरीब आदमी है तथा कृषि कुओं पर फसल की रखवाली कर अपना जीवन यापन करता है। अपीलांट कुओं पर बोई हुई फसल की आवारा पशुओं से रखवाली करता है, जिसके बदले में उसे प्रतिफल मिलता है जिससे उसके परिवार का गुजर बसर होता है। अतः उपरोक्त तथ्यों को मध्यनजर रखते हुए अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावे।

5. राज्य पक्ष की ओर से विद्वान सहा.लोक अभियोजक ने बहस करते हुए कथन किया कि पुलिस रिपोर्ट में अपीलान्ट के विरूद्ध दो मुकदमें दर्ज हुए है, जिसमें एक मुकदमा में अपीलांट को सजा होना बताया गया है। पुलिस थाना दुधवाखारा से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 31.12.18 में स्पष्ट तौर पर अंकित है कि आवेदक सजायाफ्ता है, अतः अनुशंषा नहीं की जाती है, जिसका आधार लेते हुए उप खण्ड मजिस्ट्रेट, चूरु के अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.03.2019 द्वारा शस्त्र अनुज्ञा पत्र सं. 295/2005 निरस्त किया गया है, जो उचित है। अतः अपील अपीलांट निरस्त फरमाई जावे।

6. हमने विद्वान अभिभाषकगण की बहस को मध्यनजर रखते हुए अधिनस्थ न्यायालय के अभिलेख का गहनता से अध्ययन व मनन किया। प्रकरण में अपीलांट के नाम से जारी शस्त्र अनुज्ञा पत्र सं. 295/2005 टोपीदार बन्दूक का बना हुआ है, जिसके नवीनीकरण हेतु अपीलांट ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर पुलिस रिपोर्ट ली गई। पुलिस थाना दुधवाखारा की रिपोर्ट दिनांक 31.12.2018 में अपीलांट के विरूद्ध आपराधिक मुकदमें दर्ज होने और आवेदक के सजायाफ्ता होने का उल्लेख करते हुए स्पष्टतया शस्त्र अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण नहीं करने की अनुशंषा की गई है। अपीलांट ने इस संबंध में हमारे समक्ष ऐसा कोई साक्ष्य या सबूत पेश नहीं किया है, जिससे यह जाहिर होता हो कि अपीलांट को उक्त मुकदमों में कोई सजा नहीं हुई है। राज्य पक्ष की ओर से की गई बहस में विद्वान अभिभाषक ने पुलिस रिपोर्ट के मध्यनजर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश को उचित बताया है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध पुलिस थाना दुधवाखारा की रिपोर्ट अनुसार अपीलांट के विरूद्ध मु.नं. 40/16 अन्तर्गत धारा 3/25 आर्म्स एक्ट में दर्ज हुआ है, जिसमें चालान हो गया है और

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

न्यायालय में विचाराधीन है। ऐसी स्थिति में अपीलांट को शस्त्र अनुज्ञा पत्र दिया जाना हम उचित नहीं समझते हैं।

7. इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को शस्त्र अनुज्ञा पत्र दिये जाने के संबंध में पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.03.2019 में जो आधार लिया गया हैं, वह उचित है। हम अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार का परिवर्तन किया जाना उचित नहीं समझते हैं। अतः उपरोक्त तथ्यों को मध्यनजर रखते हुए उप खण्ड मजिस्ट्रेट, चूरु का अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.03.2019 यथावत रखते हुए अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

8. तद्अनुसार अपील अपीलान्ट निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो । आदेश आज दिनांक 11.08.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भँवर लाल मेहरा)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर